

परिवाद संख्या: 06/2017

सरकार जरिये दीपक कुमार सिंधी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री दिनेश चन्द पुत्र श्री मनहरलाल महिवाल (विक्रेता एवं डेयरी इंचार्ज)  
मैसर्स श्री वृन्दावन डेयरीज,  
बी-1, रीको इण्ड0 ऐरिया, बस्सी, एक्स0 बस्सी,  
जिला जयपुर।
2. श्री चन्द्रभान जाट (नोमिनी)  
मैसर्स श्री वृन्दावन डेयरीज,  
बी-1, रीको इण्ड0 ऐरिया, बस्सी, एक्स0 बस्सी,  
जिला जयपुर।
3. मैसर्स श्री वृन्दावन डेयरीज  
बी-1, रीको इण्ड0 ऐरिया, बस्सी, एक्स0 बस्सी,  
जिला जयपुर।



... अप्रार्थी-अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)  
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक: 02/11/2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री दीपक कुमार सिंधी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29.11.2016 को समय सांयकाल 3.00 बजे अपनी टीम के साथ मैसर्स श्री वृन्दावन डेयरीज, बी-1 रीको इण्ड0 ऐरिया, बस्सी, जिला जयपुर पर पहुँचे। वहाँ पर श्री दिनेश चन्द पुत्र श्री मनहरलाल महिवाल उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पूछने पर श्री दिनेश चन्द ने स्वयं को उक्त संस्थान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया। उक्त संस्थान का निरीक्षण करने पर यहाँ आम जनता को विक्रय करने हेतु एक कोल्ड रूम में पाश्चुराइज्ड टोण्ड दूध (अमूल) ताजा के 500 एमएल वजन वाले 700 कैंरेट रखे हुए थे। इन सील्ड पॉलि पाउचो पर Use by date 01.12.2016 MFD for shri Vrindavan dairies, bassi आदि अंकित था। इनमें गुणवत्ता में कमी/मिसब्राण्ड शक होने पर वास्ते नमूना जांच 4 सील्ड थैलिया पाश्चुराइज्ड टोण्ड दूध (अमूल) ताजा खरीद कर उनकी कीमत 72/-रुपये का नकद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान श्री दिनेश कुमार शर्मा एवं श्री श्याम सुन्दर के हस्ताक्षर कराये एवं आवेदक स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रतियाँ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ कर, सुना कर एवं समझा कर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री

अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि खाद्य पदार्थ पाश्चुराइज्ड टोण्ड दूध (अमूल) ताजा विक्रय/उत्पादन करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मंयक गुप्ता उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 10.10.2017 को अपना जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 बाबत जिरह हेतु तलब करने व जिरह की अनुमति दिये जाने बाबत पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया तथा जिसकी प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिलाई गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर अपना जवाब दिनांक 02.11.2017 को दौराने बहस प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है।

पत्रावली पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ पाश्चुराइज्ड डबल टोण्ड दूध (अमूल) ताजा मिसब्राण्ड का विक्रय/निर्माण करके अप्रार्थीगणों ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगणों ने दौराने बहस नोटिस के संलग्न प्रेषित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को गलत बताया तथा निवेदन किया कि जांच रिपोर्ट को देखने से ऐसी कोई मिलावट होना नहीं पाया गया है, जिससे आम जनता को हानिकारक हो। अप्रार्थीगण ने अपने स्तर पर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की है खाद्य सुरक्षा नियम 2.2.1(5) फूड पेकेजिंग एवं लेवलिंग नियम 2011 के अनुसार उक्त नमूने के लेबल पर बैच नं. एवं यूज्ड बाई डेट जो कि अंकित थी उसे नोट लेजीबल पाया गया एवं खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूना मिसब्राण्ड कर दिया गया। जबकि चारो नमूने मानक स्तर पर पूर्णतः उच्चतम गुणवत्ता के थे जो मानक स्तर पर सही पाये गये। पेकेजिंग मिस्टेक पर सुधार कर लिया गया है एवं अप्रार्थी द्वारा प्रिन्टिंग द्वारा लेजीबल बैच नं. एवं पेकेजिंग डेट शुरू किया जा चुका है। धारा 52 में प्रथम बार मिसब्राण्ड आने पर सुधार हेतु चेतावनी देकर शास्ति से माफी का प्रावधान है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।



*(Signature)*  
प्रथम


दिनेश चन्द ने भी पढ कर समझ कर व सही मान कर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति विक्रेता श्री दिनेश चन्द को देकर रसीद प्राप्त की, फार्म संख्या 5 ए एवं फर्द रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के संलग्न है। खरीद शुदा चार पाश्चुराइज्ड टोण्ड दूध (अमूल) ताजा पॉलि पैकेटस को चार खाली एवं साफ सूखी कांच की बोतलों में बराबर-बराबर डालकर बोतलों को ऐयरटाईट बन्द किया तथा खाली थैलियों को प्रत्येक बोतल के साथ बान्धा एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकार्ये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर के कोड एवं कमांक Ac-1261 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर की हस्ताक्षशुदा पेपर स्लिप नं. Ac-1261 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना डिब्बों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पहुँच कर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त कि है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2017/762 दिनांक 26.12.2016 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/3486/एक्ट/2016/1158 दिनांक 15.12.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पाश्चुराइज्ड टोण्ड दूध (अमूल) ताजा मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली दिनांक 22.03.2017 को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर ने पत्र कमांक/एफएसएसए/2017/99 दिनांक 23.03.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा





पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत दलील प  
किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के पा  
में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह  
जाहिर है कि अप्रार्थीगणों-अभियुक्तगणों द्वारा मिसब्राण्ड का विक्रय/निर्माण करके  
संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लं  
किया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं  
है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। 3  
उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थीगणों-अभियुक्तगणों पर उक्त अधिनियम की धारा 52  
अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू0 5,000/- (अक्षरे पांच हजार रूप  
लगाई जाती है। अप्रार्थीगण-अभियुक्तगण जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारि  
बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा कर  
कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करें। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालन  
सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(डा. मोहन लाल यादव )  
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अति.कलक्टर एवं अति.जिला  
मजिस्ट्रेट-प्रथम जयपुर